

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

बनाम कलमाल मन्नाप

प्रकरण संख्या :- 43/2020/2023

3 का

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>आपली अवमर नं दि. 26/10/2023 से पेश है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p> <p>दि. 26/10/2023 पी.ओ.सा. के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त रहने/समयाभाव फलस्वरूप पूर्वबुतार दि. 23/11/2023 को पेश हो।</p> <p>23/11/23 को के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त रहने/समयाभाव फलस्वरूप पूर्वबुतार दि. 16/01/2024 को पेश हो।</p> <p>21/12/2023 प्रावकी पैदादुर/उमथपरा अधिवक्ता उपस्थित उमथपरा से वकम मुक्ती गयी।</p> <p>प्रावकी वाले आदेश नं दि. 04/01/2024 से पेश है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p> <p>दि. 04/01/2024 पी.ओ.सा. के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त रहने/समयाभाव फलस्वरूप पूर्वबुतार दि. 05/01/2024 को पेश हो।</p> <p>05/01/2024 प्रावकी पैदादुर/उमथपरा अधिवक्ता उपस्थित।</p>


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

कलशामल बनाम कलशाल महाम

प्रकरण संख्या :- 43/2020
2023

31वा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>उपखण्ड की मुनीजयी बहम का मनन रिफा पत्रावली का इकलोन रिफा गया। मुल काइ लकाममा रने स्याई निषेधाया का है। अतः न्याय दित में लहमीमशा आर से प्राप् पत्रिक नुं.अ./2023/3080 दि.13/09/2023 द्वारा प्राप्त कुरेवात रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव के आधार पर मुल काइ लकाममा रने स्याई निषेधाया का लकीगा रिफा जाव रिती रिफा जाना है। आरिहा मुनाया गया। कुरेवात रिपोर्ट निर्णय के बूझ रहेगी। पनी रिती प्रधक में जारी है। पत्रावली के मल दुआर होवर उर्व नाम्बर में बम है।</p>	<p>पालनाथ तहरीर जारी 372 24/11/24</p>
		<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला - जयपुर </p>	

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(बी. 20 रुल्स 6 व 7 जास्ता दीवानी)

अज अदालत डॉ. सरिता शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

10सी0एम0एस0 - 2020/00115

जस्व वाद संख्या 43/2020

1. कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दराम

2. सुनिल पुत्र गोविन्दराम

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र सोहनलाल

2. छीतरमल पुत्र प्रभातीलाल

3. जन्दकिशोर पुत्र प्रभातीलाल

4. नानूराम पुत्र सोहनलाल

5. नारायण पुत्र भूराराम

6. मोहनलाल पुत्र मूलचंद

7. रमेश पुत्र प्रभातीलाल

8. लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभातीलाल

9. सूरजमल पुत्र प्रभातीलाल

10. सीताराम पुत्र मूलचंद

11. हनुमान सहाय पुत्र मूलचंद

12. हरसहाय पुत्र मूलचंद

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14. उप पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर।

15. सिंडिकेट बैंक शाखा दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक

16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.आई.) शाखा चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 05.01.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु उपखण्ड अधिकारी आमेर व हाजरी वकील वादी मिमजामिन मुद्दई रुबरु मिमजामिन मुद्दा यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का दावा बाबत विभाजन का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बगवाडा, पटवार हल्का बगवाडा, भू.अ.नि.क्षे. बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि नया खाता संख्या 217 व पुराना खाता संख्या 502 की आराजी खसरा नं० 785 रकबा 0.52 हैक्ट०, खसरा नं० 786 रकबा 0.49 हैक्ट०, खसरा नं० 787 रकबा 0.76 हैक्ट०, खसरा नं० 788 रकबा 0.68 हैक्ट०, खसरा नं० 789 रकबा 1.4854 हैक्ट०, खसरा नं० 790 रकबा 1.20 हैक्ट०, खसरा नं० 791 रकबा 0.29 हैक्ट०, खसरा नं० 792 रकबा 0.11 हैक्ट०, खसरा नं० 793 रकबा 0.07 हैक्ट०, खसरा नं० 794 रकबा 0.80 हैक्ट०, खसरा नं० 795 रकबा 0.34 हैक्ट०, खसरा नं० 805/2050 रकबा 0.08 हैक्ट०, खसरा नं० 824 रकबा 0.50 हैक्ट०, खसरा नं० 825 रकबा 0.59 हैक्ट०, खसरा नं० 861 रकबा 0.63 हैक्ट०, खसरा नं० 870 रकबा 0.09 हैक्ट०, खसरा नं० 871 रकबा 1.30 हैक्ट०, कुल किता 17

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला- जयपुर

कुल रकबा 9.9354 हैक्ट0 भूमि एवं ग्राम बगवाडा पटवार हल्का बगवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 215 व पुराना खाता संख्या 514 की आराजी खसरा नं0 31/1934 रकबा 0.33 हैक्ट0, खसरा नं0 785/2029 रकबा 0.51 हैक्ट0, खसरा नं0 786/2030 रकबा 0.43 हैक्ट0, खसरा नं0 787/2031 रकबा 0.5272 हैक्ट0, खसरा नं0 788/2032 रकबा 0.2579 हैक्ट0, खसरा नं0 789/1964 रकबा 0.33 हैक्ट0, खसरा नं0 802/1935 रकबा 0.29 हैक्ट0, कुल किता 07 कुल रकबा 2.6751 हैक्ट0 भूमि का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क.सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत	ख.नं.	रकबा (है0 में)	किस्म
1.	कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दराम शर्मा हि0 1/2 जाति हरि. ब्रा. राजावास खातेदार सुनिल शर्मा पुत्र गोविन्दराम शर्मा हि0 1/2 जाति हरि. ब्रा. सा. राजावास खातेदार	790/2 791/2	0.7400 0.1724	चा.1 चा.1
	कुल किता	2	0.9124	
2735/797 नं0 07	नारायण पुत्र भूराराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार	31/1934 802/1935 (785/2029)/2 785	0.3300 0.2900 0.2000 0.5200	चा.2 चा.2 चा.1 चा.1 0.43 जा.1 0.09
		(786/2030)/2 786	0.2000 0.4900	चा.1 चा.1
		861/3	0.1575	चा.1
		(787/2031)/1/1	0.0500	चा.1
		787/1	0.1267	चा.1
		871/1	0.3729	चा.2
	कुल किता	10	2.7371	
3.737 नं0 07	वन्तुमान सहाय पुत्र मूलचंद हि. 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार सीताराम पुत्र मूलचंद हि0 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार हरसहाय पुत्र मुलचन्द हि0 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार मोहनलाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार	(787/2031)/1/2 787/2 795/1 825	0.0500 0.3500 0.2300 0.5900	चा.1 चा.1 चा.1 0.4 चा.2 0.35 जा.2 0.24
		824	0.5000	चा.2
		870	0.0900	मै.मु.आ.
		871/2	0.9271	चा.2
	कुल किता	7	2.7371	
4.737 नं0 07	कल्याण सहाय पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा दौलतपुरा नानूराम पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा दौलतपुरा	(787/2031)/1/3 787/3 795/2 (788/2032)/2/1	0.0230 0.2833 0.1100 0.0200	चा.1 चा.1 चा.1 चा.1
		788/1	0.3200	चा.1
		794/1	0.6684	चा.1
		791/1	0.0650	चा.1
		793/1	0.0200	चा.1
		861/1	0.3150	चा.1
	कुल किता	9	1.8247	

अधिकारी

5.	<p>छीतरमल पुत्र प्रभातीलाल हि 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार</p> <p>सूरजमल पुत्र प्रभातीलाल हि 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार</p> <p>रमेश पुत्र प्रभातीलाल हि 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार</p> <p>लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभातीलाल हि 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार</p> <p>नन्द किशोर पुत्र प्रभातीलाल हि 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार</p>	<p>(788/2032)/2/2</p> <p>788/2</p> <p>794/2</p> <p>793/2</p> <p>791/3</p> <p>792</p> <p>789/2</p> <p>790/3</p> <p>861/2</p>	<p>0.0200</p> <p>0.3600</p> <p>0.1316</p> <p>0.0500</p> <p>0.0526</p> <p>0.1100</p> <p>1.4754</p> <p>0.3800</p> <p>0.1575</p>	<p>चा.1</p> <p>चा.1 0.28</p> <p>जा.1 0.08</p> <p>चा.1</p> <p>बा.1</p> <p>चा.1</p> <p>गै.मु.चाह</p> <p>चा.1 1.28</p> <p>जा.1 0.1954</p> <p>चा.1</p> <p>बा.1</p>
	कुल किता	09	2.7371	
6.	<p>कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दराम हि. 1/24,</p> <p>कल्याण सहाय पुत्र सोहनलाल हि. 1/12</p> <p>राहिन बैंक सिडिकेट, छीतरमल पुत्र प्रभातीलाल हि. 1/20, नन्दकिशोर पुत्र प्रभातीलाल हि. 1/20, नानूराम पुत्र सोहनलाल हि. 1/12 राहिन बैंक सिडिकेट, नारायण पुत्र भूराराम हि. 1/4, मोहनलाल पुत्र मूलचन्द हि. 1/16, रमेश पुत्र प्रभातीलाल हि. 1/20, लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभातीलाल हि. 1/20, सुनिल शर्मा पुत्र गोविन्दराम शर्मा हि. 1/24,</p> <p>सूरजमल पुत्र प्रभातीलाल हि. 1/20,</p> <p>सीताराम पुत्र मूलचन्द हि. 1/16, हनुमान सहाय पुत्र मूलचन्द हि. 1/16, हरसहाय पुत्र मूलचन्द हि. 1/16 सा.देह खातेदार (सामलाती) (चालू जमाबंदी के अनुसार हिरसा नाम बदस्तुर)</p>	<p>(785/2029)/1</p> <p>(786/2030)/1</p> <p>(787/2031)/2</p> <p>(788/2032)/1</p> <p>789/1964</p> <p>789/1</p> <p>790/1</p> <p>805/2050</p>	<p>0.3100</p> <p>0.2300</p> <p>0.4042</p> <p>0.2179</p> <p>0.3300</p> <p>0.0100</p> <p>0.0800</p> <p>0.0800</p>	<p>चा.1 0.20</p> <p>जा.1 0.11</p> <p>चा.1</p> <p>चा.1</p> <p>चा.1 0.0979</p> <p>जा.1 0.1200</p> <p>चा.1 0.2900</p> <p>जा.1 0.04</p> <p>चा.1</p> <p>चा.1</p> <p>चा.1</p> <p>चा.1 0.03</p>
	कुल किता	08	1.6621	

तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय के जूज रहेंगे।

मोहर

गोविं

सूरज

सीतार

सहाय

पुत्र

(साम

हिरस

नाराय

राज

राजस्व रि

(डॉ. सरिता शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

आमेर जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2	—
स्टाम्प वकालत नामा	2	—	स्टाम्प वकालत नामा	2	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील	—	—
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुताफरिक	—	—
मुताफरिक	—	—		—	—
मीजान	4	—	मीजान	4	—

मोहर

(डॉ. सरिता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

मुद्दई
स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालत नामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुताफरिक

मोहर

मुद्दई
स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालत नामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुताफरिक

मोहर

मुद्दई
स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालत नामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुताफरिक